पत्र संख्या-261168 /XXVIII-4-2024-26/2024 E file-78033

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकि0स्वा0 एवं चिकि0शिक्षा अनुभाग–04 देहरादूनः दिनांक 13 दिसम्बर, 2024

विषय–राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) से) से OPT- OUT हो चुके राजकीय पेंशनरों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5प/07/बजट अनु0 –01/16/2024–25/24000 दिनांक 23 सितम्बर, 2024 एवं निदेशक (वित्त), राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड, देहरादून के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) से पृथक हुये राजकीय पेंशनरों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक में नई मॉग के माध्यम से प्राविधानित धनराषि रू0 100.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू0 1.20 करोड़ (रू0 एक करोड़, बीस लाख मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं :–

1. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (पेंशनरों) के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय संबंधित वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों, बजट मैन्युएल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित, 2019) के अन्तर्गत तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए ही किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में धनराशि का अनावश्यक व्यय कदापि न किया जाय।
3. उक्त योजनान्तर्गत सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों का समय–समय पर ऑडिट भी कराया जाय, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहें।
4. *अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (पेंशनर) के सफल संचालन हेतु शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार की जाय।*
5. *अवमुक्त की गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग विलम्बतम दिनांक 31.03.2025 तक करलिया जाय, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को*

Scanned with OKEN Scanner

समर्पित किया जायेगा। सक्षम स्तर से उपयोगिता प्रमाण–पत्र में हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम स्पष्ट अंकित हो एवं यह महानिदेशक द्वारा अभिप्रमाणित हो।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12, लेखाशीर्षक–2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य आयोजनागत–06 लोक स्वास्थ्य–101 रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–03–लोक स्वास्थ्य, 0307–अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (पेंशनर) मानक मद–42–अन्य विभागीय व्यय के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटरजनित संख्या–I/260779/2024 दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 एवं अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने संबंधी दिशानिर्देश शासनादेश संख्या–238662/2024 दिनांक 10 सितम्बर, 2024 में की गयी व्यवस्थानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 13-12-2024 17:53:38

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

संख्या– 261108 XXVIII-4-2024-26/2024(Efile-78033)तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/वित्त–1/चिकित्सा अनुभाग–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

Signed by
Jasvinder Kaur
Date: 13-12-2024 17:56:23

(जसविन्दर कौर)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner